प्रश्न सं. [क्र. 488]

विधान सभा प्रश्न क्र.-488 परिशिष्ट-अ

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99

REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-15032024-253066
CG-DL-E-15032024-253066

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1272] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 14, 2024/फाल्गुन 24, 1945
No. 1272] NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 14, 2024/PHALGUNA 24, 1945

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

(दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 मार्च, 2024

का.आ. 1338(अ).—केन्द्रीय सरकार दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (2016 का 49) की धारा 56 द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए और सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा तारीख 25 अप्रैल 2016 को जारी की गई अधिसूचना संख्या 16-21/2013-डीडी-3 और संख्या 16-9/2014-डीडी-3 [का. आ. 76 (अ) तारीख 4 जनवरी, 2018] को अधिक्रांत करते हुए, इसके द्वारा किसी व्यक्ति में विविनिर्दिष्ट दिव्यांगताओं की सीमा का निर्धारण करने के लिए विशेषज्ञों की उप-समितियों की सिफारिशों पर विचार करने के बाद, किसी व्यक्ति में निम्नलिखित विनिर्दिष्ट दिव्यांगताओं की सीमा का निर्धारण करने के प्रयोजन के लिए मार्गदर्शी सिद्धांत अधिसूचित करती है, जिनका ब्यौरा उपाबंध में दिया गया है, अर्थात् -

i. गतिविषयक दिव्यांगता;

ii. दृष्टि बाधिता;

iii. श्रवण बाधिता और वाक् एवं भाषा दिव्यांगता

अनुभाग अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन
सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन
कल्याण विभाग, मंत्रालय

iv. विनिर्दिष्ट सीख दिव्यांगता, बौद्धिक दिव्यांगता और ऑटिज्म स्पेक्ट्रम विकार;

v. मानसिक रुग्णता;

vi. रक्त विकार;

vii. बहु विकार; और

viii. चिरकालिक तंत्रिका संबंधी विकार

टिप्पण 1:- दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (2016 का 49) की धारा 57 के अनुसार, राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासक या जैसा भी मामला हो, अपेक्षित अर्हताएं और अनुभव रखने वाले व्यक्तियों को प्रमाणन प्राधिकारी के रूप में पदाभिहित करेंगे, जो दिव्यांगता प्रमाण पत्र जारी करने के लिए सक्षम होंगे और उस अधिकारिता तथा निबंधनों और शर्तें को भी अधिसूचित करेंगे जिनके अधीन रहते हुए प्रमाणन प्राधिकारी अपने प्रमाणन कृत्यों का निष्पादित करेंगे।

टिप्पण 2:- महानिदेशक स्वास्थ्य सेवाएं, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार को उन मामलों पर विनिश्चय करने का प्राधिकार वहां होगा जहां उक्त मार्गदर्शी सिद्धांतों के संबंध में परिभाषाओं या वर्गीकरण या मूल्यांकन प्रक्रिया के निर्वचन से संबंधित मामलों में कोई विवाद या संदेह उत्पन्न हो।

[फा. सं. पी-13013/12/2023-यूडीआईडी/आईटी/सांख्यिकी]

राजीव शर्मा, संयुक्त सचिव

अनुलग्नक

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (2016 का 49) के तहत शामिल किसी व्यक्ति में निर्धारित दिव्यांगता की सीमा के मूल्यांकन के उद्देश्य हेतु दिशा-निर्देश

अनुभाग अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन
सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन
कल्याण विभाग, मंत्रालय

प्रश्न क्रं० 488 परिशिष्ट 'ब'

कार्यालय आयुक्त निःशक्तजन मध्यप्रदेश

लिपिक का नाम– आरती
टेबिल क्रमांक / टी–3
न0क्र0 / 91 / 2024–25

–18–

विषय:- श्री सुभाषचन्द्र शर्मा जिला राजगढ़ म.प्र.

पूर्व पृष्ठ से:-

अतः कृपया दिनांक 19-06-2024 को समक्ष सुनवाई हेतु संबंधित की ओर नोटिस भेजा जाना उचित होगा।

कृपया विचारार्थ प्रस्तुत।

सहा. संचा. मा. उच्च न्यायालय के आदेश का अवलोकन करें व मचा. करें

आयुक्त

28/5/24

28/5/24

प्रकरण नस्तीबद्ध

31/5/24

31/05/24.

अनुभाग अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन
सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग, मंत्रालय